

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

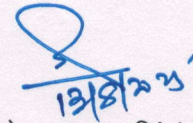
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना-800015.

अत्यावश्यक सूचना

भारत निर्वाचन आयोग के 56/2025/PPS-III दिनांक 11.08.2025 द्वारा वैसे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची जिसमें (1) Bhartiya Awaam Activist Party, (2) Bhartiya Jagaran Party, (3) Bhartiya Yuva Janshakti Party, (4) Ekta Vikas Mahasabha Party, (5) Garib Janta Dal (Secular), (6) Jai Janta Party, (7) Janta Dal Hindustani, (8) Loktantrik Janata Party (Secular), (9) Mithilanchal Vikas Morcha, (10) Rashtrawadi Yuva Party, (11) Rashtriya Sadbhavna Party, (12) Rastriya Sadabahar Party, (13) Vasudhaiv Kutumbakam Party, (14) Vasundhara Jan Vikas Dal एवं (15) Young India Party सम्मिलित है, प्रेषित करते हुए सूचित किया गया है कि उनके द्वारा 2019 ई0 से गत छः वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा गया है, जबकि पंजीकरण के पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दलों को कई लाभ/सुविधा देय होती है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा ऐसे राजनीतिक दलों को कारण पृच्छा संबंधी नोटिस निर्गत करते हुए उनका पक्ष प्राप्त कर Delist करने की कार्रवाई की जानी है।

अतः उक्त राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि दिनांक 01.09.2025 को अपराह्न 03.00 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के समक्ष उपस्थित हो कर अपना पक्ष (साक्ष्य के साथ) प्रस्तुत किया जाये, ताकि इस कार्यालय स्तर से प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जा सके।



(मनोज कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना।